355

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निग - 2459 - I - 16

प्रकरण क्र. /2016 निगरानी

1. हरीबाबू शर्मा पुत्र श्री प्रयागनारायण शर्मा, उम्र 40, व्यवसाय कृषि, पता पुरानी बस्ती श्रीकृष्ण गली चौबे फैक्ट्री भिण्ड (म.प्र.)
2. श्री बाबू पुत्र श्री प्रयागनारायण शर्मा, व्यवसाय कृषि, पता– ग्राम कुरथरा तहसील व जिला भिण्ड, (म.प्र.)

.... आवेदकगण

विरुद्ध

म.प्र. शासन द्वारा राधा वल्लभ मंदिर हनुमान बजरिया भिण्ड, जिला भिण्ड म.प्र.

.... अनावेदक

प्रदीप श्रीवास्तव अभि. 28-7-16 द्वारा प्रस्तुत

रीडर 28/7/16
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959 विरुद्ध तहसीलदार पीपरी जिला भिण्ड के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 206/15-16 में आदेश दिनांक 13.05.16 में पारित किया।

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा शासकीय भूमि सर्वे क्र. 911, 912, 914, 916, 931, 932, 933, 935, 936, 937 एवं 940 कुल किता 11 रकबा 5. 03 हैक्टयर भूमि पर अतिक्रमक मानकर फसल उगाने के बावत मौजा पटवारी कुरथरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर सर्वे क्र. 933, 940 जो फसल उगाई गई फसल जप्त कर गेंहू के 1400 गड्डों पर गेंहू की कीमत लगभग 30000/- रूपये खुर्दबुर्द किया है प्रकरण में प्रस्तुत तथ्यों में यह पाया है कि शासकीय भूमि औकाफ की भूमि पर आवेदक हरी बाबू पुत्र प्रयागनारायण विगत कई वर्षो से शासकीय भूमि से फसल उगाकर

Bhivastav 28/7/2016

3

... रहा है।

न्यायालंय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

जिला भिण्ड

प्रकरण क्रमांक निगरानी-2479-एक/2016

हरीबाबू विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
11-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार तहसील पीपरी जिला भिण्ड के प्रकरण क्रमांक 206/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 13-05-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 संहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर भिण्ड के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को कलेक्टर भिण्ड के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के. जैन) 11.3.19 सदस्य	